प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 47/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

''स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी आकलन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर परामर्श पत्र पर वर्चुअल खुला मंच चर्चा का आयोजन किया।

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 9 जुलाई, 2020 को ''स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी आकलन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर परामर्श पत्र पर वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये खुला मंच चर्चा का आयोजन किया।

2. भादूविप्रा कोविड–19 महामारी को देखते हुए वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से खुल मंच चर्चा आयोजित कर रहा है ताकि सामाजिक दूरी के नियम के पालन के साथ–साथ परामर्श प्रक्रिया में पारदर्शिता प्रदान की जा सकें। भादूविप्रा ने पाया है कि उद्योग इन वर्चुअल कार्यक्रमों में सक्रियता से भाग ले रहा है और महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर रहा है।

3. ''स्पेक्ट्रम शेयरिंग के मामलों में एसयूसी आकलन की भारित औसत विधि के तहत स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) लागू करने की पद्धति'' पर परामर्श पत्र पर ऐसा ही एक वर्चुअल ओएचडी 9 जुलाई, 2020 को संबंधित हितधारकों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, औद्योगिक संगठनों, प्रौद्योगिकी कंपनियों आदि से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें 60 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

4. चर्चा के दौरान, स्पैक्ट्रम शेयरिंग निर्देश, स्पैक्टम्र शेयरिंग के बाद स्पैक्ट्रम उपयोग प्रभार और अन्य संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

5. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91–11–23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।</u>